महत्वपूर्ण / शीर्ष प्राथमिकता

संख्या–1862/60–3–2019–6 (सा0) / 19

प्रेषक,

मोनिका एस0 गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 19 सितम्बर, 2019

विषयः–मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के शुभारम्भ के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत हैं कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना दिनांक 01.04.2019 से लागू की गयी है। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा इस योजना का शुभारम्भ कार्यक्रम दिनांक 11.10.2019 को किया जाना निर्धारित है।

2. कार्यक्रम की गतिविधियाँ :–

राज्य स्तर पर लखनऊ में तथा प्रत्येक जनपद मुख्यालय स्तर पर निम्नलिखित गतिविधियॉ आयोजित की जायेंगीः–

1– मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत देय लाभ की सभी 06 श्रेणियों के पात्र लाभार्थियों को पंजीकरण पत्र का वितरण किया जायेगा।

2– कक्षा–10 एवं कक्षा–12 में जनपदवार प्रथम दस स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को पुरस्कार धनराशि प्रदान की जायेगी।

3. कार्यक्रम का आयोजन :–

1– **लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम**–जनपद लखनऊ में इन्दिरा गाँधी प्रतिष्ठान में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यक्रम का शुभारम्भ किया जायेगा। उक्त कार्यक्रम में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के वेब पोर्टल लाँच के साथ योजना का शुभारम्भ किया जायेगा। उक्त कार्यक्रम को टेलीविजन एवं रेडियो के माध्यम से पूरे राज्य में नागरिकों हेतु प्रसारित किया जायेगा। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा लखनऊ जनपद के विभिन्न शिक्षा बोर्डों में कक्षा–10 एवं कक्षा–12 में प्रथम दस स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को पुरस्कार धनराशि प्रदान की जायेगी। उक्त कार्यक्रम में मा0 मंत्रीगण, मा0 जन प्रतिनिधिगण, मा0 अध्यक्ष, राज्य महिला

आयोग/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग व अन्य गणमान्य जन की उपस्थिति अपेक्षित होगी।

2— **जनपद मुख्यालय स्तर पर कार्यक्रम**—जनपद मुख्यालय स्तर पर मा0 प्रभारी मंत्री जी की अध्यक्षता में उक्त कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा, जिसमें सम्बन्धित मा0 सांसद/विधायकगण/महापौर/जिला पंचायत अध्यक्ष/राज्य महिला आयोग व राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के मा0 सदस्यगण की उपस्थिति अपेक्षित होगी। मा0 प्रभारी मंत्री जी द्वारा प्रत्येक जनपद के विभिन्न शिक्षा बोर्डों में कक्षा—10 एवं कक्षा—12 में प्रथम दस स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को पुरस्कार धनराशि प्रदान की जायेगी।

3— **सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव अपने विभाग के दायित्वों के निर्वहन हेतु समुचित दिशा निर्देश निर्गत कर कृपया पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करेंगें।**

4. <u>वेब पोर्टल</u> :—

1— दिनांक 14.08.2019 को एन0आई0सी0 तथा निदेशक, महिला कल्याण द्वारा संयुक्त रूप से एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से किया गया, जिसमें जनपद स्तरीय अधिकारी यथा—मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी/बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक/जनपदीय अधिकारी, उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/अधिशासी अधिकारी/जिला पंचायतीराज अधिकारी आदि द्वारा प्रतिभाग किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 16.08.2019 को इसी प्रशिक्षण को डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0 द्वारा पुनः जिला स्तर पर आयोजित किया गया था।

2— योजना के सुगम संचालन हेतु ऑनलाइन पोर्टल पर कार्य करने हेतु निदेशक, महिला कल्याण द्वारा प्रत्येक जिले में ऑनलाइन फीडिंग सेवाओं हेतु आवश्यक धनराशि आवंटित की जा चुकी है। जिला परिवीक्षा अधिकारी ऑनलाइन फीड की जा रही लाभार्थियों की संख्या का नित्य प्रति अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे।

3— योजना के ऑनलाइन कियान्वयन हेतु पोर्टल दिनांक 17.09.2019 को activate हो गया है। Activation के उपरान्त pilot test प्रारम्भ कर दिया गया है। "Pilot test" के दौरान आवेदनों को ऑनलाइन फीड किया जायेगा। ऑनलाइन फीडिंग के पश्चात सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कराते हुये जिला स्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति द्वारा समीक्षा

करके आवेदन पत्रों का परीक्षण किया जायेगा। मा0 मुख्यमंत्री जी के पोर्टल लान्च के समय ऑनलाइन फीड किये गये आवेदन पत्र पोर्टल पर प्रदर्शित होंगे। लॉचिंग तिथि पर जिला स्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति द्वारा लाभार्थियों को पंजीकरण पत्र जारी किया जायेगा तथा 3 दिन में उनके खातों में धनराशि अन्तरित की जायेगी।

4— शुभारम्भ तिथि तक योजनान्तर्गत प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की संख्या के आधार पर 10 ''सर्वोत्तम जनपदों'' के जिलाधिकारी तथा जिला परिवीक्षा अधिकारी को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जायेगा।

5. <u>मेधावी बालिकाओं का सम्मान</u> :—

लखनऊ सहित प्रत्येक जनपद स्तर पर विभिन्न शिक्षा बोर्डों यथा—यू0पी0 बोर्ड / सी0बी0एस0ई0 बोर्ड / आई0सी0एस0ई0 बोर्ड की वर्ष 2019 की परीक्षाओं में कक्षा—10 एवं कक्षा—12 में प्रथम दस स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को पुरस्कार धनराशि प्रदान की जायेगी। कक्षा—10 एवं कक्षा—12 की मेरिट प्राप्त छात्राओं को रू0—5000 / — का पुरस्कार दिया जायेगा। चूँकि उपरोक्त मेरिट प्राप्त बालिकाओं को दिये जाने वाली पुरस्कार की धनराशि उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष से वहन की जायेगी, अतः इस सम्बन्ध में राज्य अनुश्रवण समिति से आवश्यक धनराशि के आवंटन की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त आवश्यक धनराशि कोष कार्यालय द्वारा निदेशक, महिला कल्याण को उपलब्ध करायी जायेगी। तदोपरान्त निदेशक द्वारा पुरस्कार की आवश्यक धनराशि जनपदवार आवंटित की जायेगी। जनपद स्तर पर जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा पुरस्कार धनराशि वितरण हेतु आवश्यक प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी।

6. <u>कार्यक्रम हेतु बजटीय व्यवस्था</u> :—

1— उक्त अभियान के शुभारम्भ पर होने वाले व्यय का वहन मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजनान्तर्गत प्रावधानित प्रशासनिक व्यय की धनराशि से किया जायेगा। जनपद मुख्यालय में कार्यक्रम संचालन हेतु प्रति जनपद रू0—50,000 / — (रूपये पचास हजार मात्र) की धनराशि निर्धारित की गयी है। जिला स्तर पर कार्यक्रम हेतु उक्तानुसार धनराशि का आवंटन निदेशक, महिला कल्याण द्वारा कर दिया गया है। जनपद स्तर पर उक्त अभियान के शुभारम्भ कार्यक्रम के प्रतिभागियों के खान—पान आदि सुविधाओं की समस्त व्यवस्थायें जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेंगी।

उक्त शुभारम्भ के अन्तर्गत आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को सुचारू रूप से सम्पादित किये जाने व उनके क्रियान्वयन का अनुश्रवण

किये जाने का दायित्व सम्बन्धित जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिलाधिकारी का होगा।

2– मण्डल – स्तरीय विभागीय अधिकारी उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी अपने मण्डल के सभी जनपदों में शुभारम्भ कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा करके विस्तृत रिपोर्ट निदेशक, महिला कल्याण को 03.10.2019 तक प्रेषित करेंगे।

3– लखनऊ में दिनांक 11.10.2019 को आयोजित होने वाले शुभारम्भ कार्यक्रम हेतु निदेशालय द्वारा रू0–10.00 लाख की धनराशि आवंटित की जायेगी। शुभारम्भ कार्यक्रम के सफल संचालन का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण तथा जिलाधिकारी, लखनऊ का होगा। निदेशक, महिला कल्याण द्वारा कार्यक्रम स्थल की समस्त व्यवस्थायें सुचारू रूप से सम्पन्न करायी जायेंगी।

7. प्रचार–प्रसार :–

शुभारम्भ कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जायेगा। प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से प्रचार प्रसार के अतिरिक्त सोशल मीडिया तथा होर्डिंग, बैनर, वाल पेन्टिंग, पोस्टर आदि स्थानीय प्रचार माध्यमों से भी प्रचार–प्रसार किया जायेगा। प्रचार–प्रसार तथा कार्यक्रम के सजीव प्रसारण हेतु निदेशक, महिला कल्याण द्वारा निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग से समन्वय स्थापित किया जायेगा।

उक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त सम्बन्धित अधिकारीगण द्वारा कृपया शुभारम्भ कार्यक्रम तथा योजना के सफल संचालन हेतु अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीया,

(मोनिका एस0 गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1862(1)/60–3–2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग/ग्राम्य विकास विभाग/बेसिक शिक्षा विभाग/माध्यमिक शिक्षा विभाग/उच्च शिक्षा विभाग/बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/प्राविधिक शिक्षा

विभाग/नगर विकास विभाग/राजस्व विभाग/व्यवसायिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, लखनऊ।
5. निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
6. विहित प्राधिकारी, उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष, लखनऊ।
7. स्टेट इन्फार्मेटिक्स ऑफिसर, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0), योजना भवन, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेस्को, अपट्रान बिल्डिंग, द्वितीय तल, निकट गोमती बैराज, गोमती नगर, लखनऊ।
9. समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी/जिला परिवीक्षा अधिकारी को इस आशय से कि जनपद/ब्लॉक स्तर पर प्रस्तावित कार्यक्रमों के आयोजन हेतु जिलाधिकारीगण से समन्वय सुनिश्चित करते हुये प्रबन्धन की आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

Sec-1/Desktop/Kanya G.O.